# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

40-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 16, 2026 (PHALGUNA 25, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

**Notification**

The 16th March, 2026

**No. 8-HLA of 2026/11/5073.—** The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 8-HLA of 2026**

**THE HARYANA CONSOLIDATION OF PROJECT LAND (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2026**

**A**

**BILL**

further to amend the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

**1.** This Act may be called the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Act, 2026.

Substitution of section 7 of Haryana Act 28 of 2017.

**2.** For section 7 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017, the following section shall be substituted, namely:-

"7. Exchange of land.- Every person to whom a notice has been issued under section 6 shall exercise either of the following options in such manner, as may be prescribed for the purposes of consolidation, namely:-

(i) receive an equal area of land in the same revenue estate with ten percent additional land as dislocation premium; or

(ii) in case of non-availability of such land in the same revenue estate, receive an equal area of land in the adjoining revenue estate alongwith twenty percent additional land as dislocation premium:

Provided that if a person fails to exercise any option as provided in clauses (i) or (ii) within the stipulated period, as provided in the notice, the competent authority shall be at liberty to decide and proceed further to consolidate the land for the project:

Provided further that a person shall be entitled to receive such compensation for any building or structure existing on the project land under his ownership, as may be assessed by an officer not below the rank of Executive Engineer.".

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

In the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (Haryana Act No. 28 of 2017), the objects are to make special provisions to consolidate left out pockets of land for setting up a project and for the matters connected there with or incidental thereto. The principal Act was amended by the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Act, 2020 (Haryana Act No. 15 of 2020). Various Civil Writ Petitions (CWPs) have been filed regarding compensation payable under section 7. In CWP no.15676 of 2019, titled as Mool Chand & others Versus State of Haryana and similar other writ petitions, Hon'ble High Court (DB) *vide* its order dated 26.09.2024 declared *ultra-vires* the ibid section 7 in so far as the amount of compensation is concerned and directed that parameters be followed for award of compensation, interest and solatium, benefits of rehabilitation and resettlement as envisaged under Sections 26, 27, 28, 29, 30, 31 & 32 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act).

Accordingly, it is imperative to substitute the various provisions of ibid section 7 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2026 and the provision of compensation clause has been replaced with the words 'exchange of land'.

The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2026 aims to achieve the above object.

VIPUL GOEL,
Revenue Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 16th March, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2026 का विधेयक संख्या–8 एच. एल. ए.**

## हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026
## हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017
## को आगे संशोधित
## करने के लिए
## विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

**1.** यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 7 का प्रतिस्थापन।

**2.** हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"7. भूमि का विनिमय.– प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, समेकन के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का प्रयोग करेगा, अर्थात्:–

(i) विस्थापन अधिमूल्य के रूप में दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि के साथ उसी राजस्व संपदा में बराबर क्षेत्रफल की भूमि प्राप्त करना; अथवा

(ii) उसी राजस्व संपदा में ऐसी भूमि की अनुपलब्धता के मामलें में, विस्थापन अधिमूल्य के रूप बीस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि के साथ निकटवर्ती राजस्व संपदा में बराबर क्षेत्रफल की भूमि प्राप्त करनाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नोटिस में दी गई, नियत अवधि के भीतर खण्ड (i) या (ii) में यथा उपबंधित किसी विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, परियोजना के लिए भूमि का समेकन करने का निर्णय लेने और आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगाः

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वामित्वाधीन परियोजना भूमि पर विद्यमान किसी निर्माण या संरचना के लिए भी ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पद्वीं से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जाए।"।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य किसी परियोजना को स्थापित करने की वजह से रह गए भू–खण्डों को समेकित करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुवांशिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करना है। मूल अधिनियम को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) द्वारा संशोधित किया गया। धारा 7 के अधीन भुगतान योग्य प्रतिकर के संबंध में विभिन्न सिविल रिट याचिकाएं (सी०डब्ल्यू०पीज़) दायर की गई हैं। 2019 के सिविल रिट याचिका संख्या 15676, शीर्षक मूल चंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य समान रिट याचिकाओं में, माननीय उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच) ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2024 द्वारा उक्त धारा 7 को प्रतिकर की राशि के संबंध में अति–विधिक (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया तथा निर्देश दिया कि प्रतिकर, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लाभों के लिए उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर० अधिनियम) की धारा 26, 27, 28, 29, 30, 31 तथा 32 के अंतर्गत परिकल्पित मानकों का पालन किया जाए।

इसलिए, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026 की उक्त धारा 7 के विभिन्न उपबंधों को प्रतिस्थापित करना अनिवार्य हो गया है तथा प्रतिकर उपबंध संबंधी खण्ड को 'भूमि का आदान–प्रदान' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026 का लक्ष्य उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है।

विपुल गोयल,
राजस्व मन्त्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़:
दिनांक 16 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12498—H.V.S.—H.G.P., Pkl.